न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

वाद संख्या :– 07/2018

वादी :– रामाकिशन पुत्र श्री शंकरराम, जाति जाट, निवासी डांगावास, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामसुख पुत्र श्री शंकरराम
2. जेठाराम पुत्र श्री शंकरराम

   दोनों जाति जाट, निवासीगण डांगावास

   तहसील मेड़ता जिला नागौर।
3. तहसीलदार, मेड़ता।

दावा घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188, राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक :– 27/08/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महेन्द्र चौधरी ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तीनों सगे भाई है। सभी हिन्दू है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से गर्वन होते है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजी ग्राम डांगावास की सरहद में आयी हुई थी व कुछ खसरान की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। मगर पैतृक भूमि का विभाजन अलग से हो चुका है। इस वजह से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जो संयुक्त खातेदारी का इन्द्राज दर्ज है। उसका भी विभाजन मौके पर हो रखा है। इस संबंध में 500/– रूपयें के स्टाम्प पर बंटवाड़े की लिखत भी तीनों भाईयों द्वारा निष्पादित की जा चुकी है। जिसकी फोटो प्रति साथ में पेश है। मौजा लांछ की

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 688 रकबा 1.88 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 617 रकबा 2.17 हैक्टेयर व मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 716 रकबा 3.20 हैक्टैयर व खसरा नम्बर 720 रकबा 1.92 हैक्टेयर में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की हद तक यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जमाबंदी की नकले साथ में पेश है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने ऊपर बतायी वादग्रस्त खसरान की जमीन का मौके पर विभाजन अर्जीदावा के पैरा संख्या 5 में वर्णितानुसार किया हुआ है। वादग्रस्त खसरान की जमीन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि है। मगर पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से ऊपर बताये अनुसार बंट में आयी है और मौके पर बंटवाड़ा के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काश्त व काबिज है। मगर राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है। पक्षकारान ने यानि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने बंट की जमीन का अलग से बंटवाड़ा करवा लिया है। इस वजह से वादी कानूनी बंटवाड़ा करवाकर अपने बंट की जमीन की खातेदारी अपने नाम अलग से दर्ज करवाना चाहता है। इस हेतु वादी यह वाद पेश कर रहा है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 8 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा लांछ की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075, खाता संख्या 261, मौजा डांगावास की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 818, मौजा मेड़ता की जमाबंदी सम्वत् 2067 से 2070, खाता संख्या 1331, मौजा डांगावास जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 853, नक्शा ट्रेस, इकरारनामा की लिखत की फोटो की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 29.05.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

में लायी गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वकील श्री चेनाराम गुगरवाल ने वकालतनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 3 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 09.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(क) यह है कि वादी रामाकिशन के बंट में मौजा लांछ की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 617 रकबा 2.17 हैक्टेयर में से 2.14 हैक्टेयर उत्तरी तरफ की भूमि व खसरा नम्बर 616 रकबा 1.88 हैक्टेयर की भूमि में से पश्चिमी तरफ की रकबा 0.49 हैक्टेयर की जमीन बंट में रखी।

(ख) यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख के बंट में मौजा लांछ की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 616 रकबा 1.88 हैक्टेयर में से बीच की रकबा 0.69 हैक्टेयर की जमीन बंट में रखी।

(ग) यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 जेठाराम के बंट में मौजा लांछ की ढाणी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 616 रकबा 1.88 हैक्टैयर में से पूर्वी तरफ की रकबा 0.69 हैक्टेयर की जमीन बंट में रखी।

(घ) यह है कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 716 रकबा 3.20 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 720 रकबा 1.92 हैक्टेयर कुल

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 5.12 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की जमीन अब प्रतिवादी संख्या 2 जेठाराम पुत्र श्री शंकरराम के स्थान पर वादी रामाकिशन व प्रतिवादी संख्या 1 रामसुख के बंट में रखी। खसरा नम्बर 617 रकबा 2.17 हैक्टेयर में से दक्षिणी तरफ रकबा 0.03 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 616 रकबा 1.88 हैक्टेयर में से रकबा 0.01 हैक्टेयर दक्षिणी तरफ की रास्ता हेतु प्रतिवादीगण की खातेदारी में रहेगी। जो रास्ता हेतु उपयोग व उपभोग में ली जावेंगी।

7. बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/08/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता (राज.)
मेड़ता

Scanned by CamScanner